

परिग्रह-पत्र

1- योजना का नाम : तेलीबाग वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।

2- ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 भू०अ०-2-1105 (योजना) दिनांक 27/02/2004 उ०प्र० गजट प्रकाशन दिनांक 03/04/2004 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति संख्या-970/9 /आ-2-2004-5 एच०बी०/2002, लखनऊ दिनांक 21/07/2004 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली पश्चिम चकबन्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित गजट धारा-33 व 55 का शासनादेश संख्या-1608/8-2-2007- 5एच०बी० /2002 दिनांक 16.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञप्ति संख्या- 1686/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 07.07.2008 की संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 10-01-11 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है। जिसका विवरण निम्न है:-

ग्राम-कल्ली पश्चिम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	अन्य विवरण
	927	0.024	
	929	0.329	
	931	0.118	
	932	0.076	
	933	0.031	
	934	0.031	
	935	0.033	
	936	0.022	
	937	0.057	
	938	0.095	
	939	0.016	
	940	0.021	
	944	0.031	
	949	0.034	
	950	0.126	
	951	0.120	
	952	0.145	
	953	0.139	
	954	0.158	
	955	0.006	
	957	0.028	
	958	0.057	

	1119	0.627	
	1121	0.681	
	1122	0.634	
	1125	0.644	
	1136	0.455	
	1138	0.224	
	1139	0.152	
	1140	0.177	
	1141	0.347	
	1142m	0.060	
	1143	0.0025	
	1146	0.139	
	1147	0.316	
	1149	2.387	
	1150m	0.107	
	1150	0.676	
	1150	0.759	
	1150	0.051	
	1150	5.217	
	1150	0.177	
	1150	0.676	
	1150	0.253	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	1.391	
	1150	0.253	
	1150	3.781	
	1150	0.632	
	1150	0.316	
	1150	0.253	
	1151	0.051	
	1152	0.089	
	1153	0.095	
	1154	0.041	
	1155	0.060	
	1156	0.038	
	1161	0.006	
	1273	0.569	
	1273	0.082	

*sjit*

*Rus*

*balli*  
*ma*

*h.p*

1273	0.316
1273	0.253
1273	0.828
1273	0.215
1273	0.430
1273	0.493
1273	0.825
1273	6.162
1273	3.604
1273d	0.699
1508	1.557
1510	0.322
1512	1.051
1513	0.721
1514	0.416
1515	0.283
1518	0.506
1518	0.506
1518	0.013
1519	0.336
1520	0.692
1125/3518	0.055
1150[k	0.246
	78.0075

नोट -

- 1- उपरोक्त भूमि के कारताकार को बाग-बहार एवं फसल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी जाती है, अब कोई फसल बोने एवं मिट्टी बेचने का अधिकार न होगा।
- 2- उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 10-01-11 को हस्तान्तरित किया गया, मौजूद परिसम्पत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है तथा उपरोक्त कब्जा पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बरों में से कोई-वर्तमान में कब्जा देने की दिोथे माद न्यायालय में स्थगन आदेशों प्रभावित है तो उस भूमि का कब्जा दिया गया मान्य नहीं होगा।
- 3- नहर सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 4- उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्र, मन्दिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल तथा सीलिंग आदि की भूमि का आडकर कब्जा माना जाय।

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

20 17502/16




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Base Certificate No. : IN-UP01262127528342N  
Certificate No. : IN-UP021230566840570  
Certificate Issued Date : 22-Jun-2016 04:56 PM  
Account Reference : SHCIL (FI) upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL01025337896115480  
Purchased by : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
Description of Document : Article 31 Exchange of property  
Property Description : PLOT NO. 20A/441, SECTOR-20, VRINDAVAN YOJNA-4, LUCKNOW.  
Consideration Price (Rs.) : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
First Part : SMT DURGA DEVI  
Second Part : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
Stamp Duty Paid By : 55,900  
Stamp Duty Amount (Rs.) : (Fifty Five Thousand Nine Hundred only)



Please write or type below this line



उप आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

0000759416

VOID VOID VOID VOID VOID VOID  
VOID VOID VOID VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details of this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

## विनिमय विलेख

यह विनिमय विलेख आज दिनांक 02/09/2016 को श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी स्व० मंशाराम निवासिनी ग्राम कल्ली पश्चिम, मजरा बाबूखेड़ा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ..... जिन्हे एतदपश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना, सेक्टर-9, लखनऊ जिन्हे एतदपश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधरी भूमि खसरा नं० 1189, खसरा नं० 1190, खसरा नं० 1191 व खसरा नं० 1192 क्षेत्रफल 0.0315 हेक्टेयर, स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम, शहर लखनऊ "जिसे एतदपश्चात अंश भूमिधरी भूमि" कहा गया है, प्रथम पक्ष स्वामी व अधिकारी है।

यह कि उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार में मौजूद है जो हर प्रकार के विवादों, विक्रय, बन्धक, दान आदि से बरी व पाक साफ है।

यह कि द्वितीय पक्ष ने वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20 के अन्तर्गत ग्राम कल्ली पश्चिम, जिला लखनऊ में भूमि अधिग्रहण करने के उपरान्त अधिग्रहीत भूमि पर विकसित प्लाट कायम किये है उन्ही प्लाटों में से प्लाट सं० 20ए/441 क्षेत्रफल 157.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ "जिसे एतदपश्चात प्लाट संख्या 20ए/441 कहा गया है, द्वितीय पक्ष के समस्त अधिकारों में मौजूद है।


यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को अपनी अपनी उपरोक्त सम्पत्तियों को विक्रय, बंधक, दान आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथम पक्ष ने अपने उपरोक्त अंश भूमिधरी भूमि को द्वितीय पक्ष के उपरोक्त प्लाट से विनिमय करने में सहमत है अतः उक्त विनिमय विलेख के परिणाम स्वरूप इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से इस उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते है।

1. यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी अंश भूमिधरी का, जिसका विवरण अनुसूची-1 में दिया गया है तथा जिसकी स्पष्टता हेतु संलग्न मानचित्र में लालरंग से रेखांकित किया गया है, का हस्तान्तरण विनिमय विलेख निष्पादन की तारीख से प्लाट संख्या 20ए/441 जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-2 में दिया गया है तथा जिसकी स्पष्टता हेतु संलग्न मानचित्र में नीले रंग से रेखांकित किया गया है, के एवज में कर दिया है।

2. यह कि उक्त विनिमय के परिणाम स्वरूप इस विनिमय विलेख निष्पादन की तारीख से द्वितीय पक्ष उक्त अंश भूमिधरी क्षेत्रफल 0.0315 हेक्टेयर के स्वामित्व सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त हो गये है।

क्रमशः 2 पर

उप  निमित्त आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

द्वितीय पक्ष में भी अपने प्लॉट संख्या 20ए/441 क्षेत्रफल 157.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ का हस्तांतरण विनियम के रूप में प्रथम पक्ष के पक्ष में कर दिया है।

3. यह कि अब इस विनियम विलेख निष्पादन की तारीख से प्रथम पक्ष उक्त प्लॉट संख्या 20ए/441 क्षेत्रफल 157.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ का पूर्ण रूप से स्वामी तथा अधिकारी हो गया है और प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट संख्या 20ए/441 क्षेत्रफल 157.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ से सम्बन्धित सभी अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

4. यह कि उपरोक्त विनियम से द्वितीय पक्ष उक्त अंश भूमिधरी क्षेत्रफल 0.0315 हेक्टेयर का स्वामी व अधिकारी हो गया है अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों का कोई हक व हिस्सा उक्त अंश भूमिधरी क्षेत्रफल 0.0315 हेक्टेयर पर बाकी नहीं रह गया है तथा द्वितीय पक्ष को उपरोक्त भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण व विक्रय करने का अधिकार होगा, जिसमें प्रथम पक्ष कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा।

5. यह कि उपरोक्त विनियम से प्रथम पक्ष प्लॉट संख्या 20ए/441 क्षेत्रफल 157.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ का स्वामी व अधिकारी हो गया है। अब द्वितीय पक्ष व द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारियों का कोई हक व हिस्सा उक्त प्लॉट संख्या 20ए/441 क्षेत्रफल 157.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ पर बाकी नहीं रह गया है तथा प्रथम पक्ष को उपरोक्त सम्पत्ति पर विक्रय, बंधक, दान आदि एवं उप विभाजन करने आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यह कि उभय पक्ष विनियम के द्वारा सम्पत्ति पर सभी प्रकार के क्याचित सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो गया है तथा प्रत्येक पक्ष को विक्रय, बंधक, आवासीय, व्यवसायिक एवं उप विभाजन प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार इस विनियम विलेख निष्पादन तिथि से प्राप्त हो गये हैं।

7. यह कि उभय पक्ष द्वारा विनियम के द्वारा सम्पत्ति हस्तांतरण में किसी प्रकार के पैसे का कोई लेन देन नहीं किया गया है।

8. यह कि उभय पक्ष को अधिकार होगा कि विनियम द्वारा अन्तर्गत सम्पत्ति का नामांतरण सरकारी अभिलेखों में अपने नाम करा लेवे।

9i. यह कि प्रथम पक्ष के अंश भूमिधरी का मूल्यांकन निम्नवत् है - यह कि कल्लि परिचम, लखनऊ स्थित कृषि भूमि की बाजार कीमत 82,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार भूमि क्षेत्रफल 0.0315 हेक्टेयर की मालियत मु० 2,58,300/- रुपया होती है।

9ii. यह कि द्वितीय पक्ष की सम्पत्ति अर्थात् प्लॉट संख्या 20ए/441 का मूल्यांकन निम्न है :-

यह कि यह कि वृन्दावन योजना-4 लखनऊ भूखण्ड सं० 20ए/441 स्थित भूमि की कीमत मु० 16,000/- रुपया प्रतिवर्गमीटर निर्धारित है जिसके अनुसार प्लॉट क्षेत्रफल 157.50 वर्गमीटर की मालियत मु० 25,20,000/- रुपया होती है।

क्रमशः 3 पर

उपरोक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp




Certificate No. : IN-UP01282189208357N  
Certificate Issued Date : 06-Aug-2015 01:08 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0101537962987103N  
Purchased by : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
Description of Document : Article 31 Exchange of property  
Property Description : PLOT NO. 20A/383, SECTOR-20, VRINDAVAN YOJNA-4,  
LUCKNOW  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
Second Party : SMT SOMA AND KUMARI SHWETANSHI AND KUMARI SHWETA  
Stamp Duty Paid By : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 15,87,600  
(FifteenLakh Eighty Seven Thousand Six Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

सोमा  
Shwetanshi  
Shweta



31  
VO 0000766073



विनिमय विलेख

यह विनिमय विलेख आज दिनांक \_\_\_\_\_ को श्रीमती रामा पत्नी श्री बाबू लाल व कुं श्वेताश्री व कुं श्वेता एचिंगण श्री बाबू लाल निवासिनो 1/638 बसुन्धरा, गाजिवावाद जिल्हा एतदपश्चात् प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी उप आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना, सेक्टर-9, लखनऊ जिन्हे एतदपश्चात् द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिधरी भूमि खसरा नं० 1158 क्षेत्रफल 0.1230 हेक्टेयर, खसरा नं० 1159क क्षेत्रफल 0.0760 हेक्टेयर, खसरा नं० 1178 क्षेत्रफल 0.0380 हेक्टेयर, खसरा नं० 1179 क्षेत्रफल 0.0250 हेक्टेयर, खसरा नं० 1180 क्षेत्रफल 0.0190 हेक्टेयर, खसरा नं० 1181 क्षेत्रफल 0.0090 हेक्टेयर, खसरा नं० 1182 क्षेत्रफल 0.0430 हेक्टेयर, खसरा नं० 1186क क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर, खसरा नं० 1164 क्षेत्रफल 0.0090 हेक्टेयर, खसरा नं० 1174 क्षेत्रफल 0.0570 हेक्टेयर, खसरा नं० 1175 क्षेत्रफल 0.0440 हेक्टेयर, खसरा नं० 1166 क्षेत्रफल 0.0280 हेक्टेयर, खसरा नं० 1167 क्षेत्रफल 0.0220 हेक्टेयर, खसरा नं० 1168 क्षेत्रफल 0.0310 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 0.581 हेक्टेयर स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम, शहर लखनऊ के भाग भूमि क्षेत्रफल 0.2547 हेक्टेयर "जिसे एतदपश्चात् अंश भूमिधरी भूमि" कहा गया है, प्रथम पक्ष स्वामी व अधिकारी है।

यह कि उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार में मौजूद है जो हर प्रकार के विवादों, विक्रय, बन्धक, दान आदि से बरी व पाक साफ है।

यह कि द्वितीय पक्ष ने वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20 के अन्तर्गत ग्राम कल्ली पश्चिम, जिला लखनऊ में भूमि अधिग्रहण करने के उपरान्त अधिग्रहीत भूमि पर विकसित प्लॉट कायम किये हैं उन्ही प्लॉटों में से प्लॉट सं० 20ए/383 क्षेत्रफल 1273.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना - 4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ "जिसे एतदपश्चात् प्लॉट संख्या 20ए/383" कहा गया है, द्वितीय पक्ष के समस्त अधिकारों में मौजूद है।

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को अपनी अपनी उपरोक्त सम्पत्तियों को विक्रय, बंधक, दान आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथम पक्ष ने अपने उपरोक्त अंश भूमिधरी भूमि को द्वितीय पक्ष के उपरोक्त प्लॉट को विनिमय करने में सहमत है अतः उक्त विनियम विलेख के परिणाम स्वरूप इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से हम उभय पक्ष निम्न शर्तों के पाबन्द होते हैं।

सोमा प्रथम पक्ष  
Shumashi

Shumashi

द्वितीय पक्ष

4  
क्रमशा.2 पर

1. यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी अंश भूमिधरी का विवरण विवरण अनुसूची-1 में दिया गया है तथा विनियमकी स्पष्टता हेतु सलान मानचित्र में लालरंग से रेखांकित किया गया है, का हस्तांतरण विनियम विलेख निष्पादन की तारीख से प्लॉट संख्या 20ए/383 जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-2 में दिया गया है तथा जिसकी स्पष्टता हेतु सलान मानचित्र में नीले रंग से रेखांकित किया गया है, के एवज में कर दिया है।
2. यह कि उक्त विनियम के परिणाम स्वरूप इस विनियम विलेख निष्पादन की तारीख से द्वितीय पक्ष उक्त अंश भूमिधरी क्षेत्रफल 0.2547 हेक्टेयर के स्वामित्व सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपने प्लॉट संख्या 20ए/383 क्षेत्रफल 1273.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना-4, सेक्टर-20, शहर लखनऊ का हस्तांतरण विनियम के रूप में प्रथम पक्ष के पक्ष में कर दिया है।
3. यह कि अब इस विनियम विलेख निष्पादन की तारीख से प्रथम पक्ष उक्त प्लॉट संख्या 20ए/383 क्षेत्रफल 1273.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना-4, सेक्टर-20, शहर लखनऊ का पूर्ण रूप से स्वामी तथा अधिकारी हो गया है और प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट संख्या 20ए/383 क्षेत्रफल 1273.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना-4, सेक्टर-20, शहर लखनऊ से सम्बन्धित सभी अधिकार प्राप्त हो गये हैं।
4. यह कि उपरोक्त विनियम से द्वितीय पक्ष उक्त अंश भूमिधरी क्षेत्रफल 0.2547 हेक्टेयर का स्वामी व अधिकारी हो गया है अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों का कोई हक व हिस्सा उक्त अंश भूमिधरी क्षेत्रफल 0.2547 हेक्टेयर पर बाकी नहीं रह गया है तथा द्वितीय पक्ष को उपरोक्त भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण व विक्रय करने का अधिकार होगा, जिसमें प्रथम पक्ष कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा।
5. यह कि उपरोक्त विनियम से प्रथम पक्ष प्लॉट संख्या 20ए/383 क्षेत्रफल 1273.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना-4, सेक्टर-20, शहर लखनऊ का स्वामी व अधिकारी हो गया है। अब द्वितीय पक्ष व द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारियों का कोई हक व हिस्सा उक्त प्लॉट संख्या 20ए/383 क्षेत्रफल 1273.50 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना-4, सेक्टर-20, शहर लखनऊ पर बाकी नहीं रह गया है तथा प्रथम पक्ष को उपरोक्त सम्पत्ति पर विक्रय, बंधक, दान एवं उप विभाजन करने आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि उभय पक्ष विनियम के द्वारा सम्पत्ति पर सभी प्रकार के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो गया है तथा प्रत्येक पक्ष को विक्रय, बंधक, व्यवसायिक, आवासीय एवं उप विभाजन प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार इस विनियम विलेख निष्पादन तिथि से प्राप्त हो गये हैं।
7. यह कि उभय पक्ष द्वारा विनियम के द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण में किसी प्रकार के पैसे का कोई लेन देन नहीं किया गया है।
8. यह कि उभय पक्ष को अधिकार होगा कि विनियम द्वारा अन्तर्गत सम्पत्ति का नामांतरण सरकारी अभिलेखों में अपने नाम करा लेंगे।
9. यह कि प्रथम पक्ष के अंश भूमिधरी का मूल्यांकन निम्नवत् है :-

सौमा प्रथम पक्ष  
Shwetankshi  
Anurag

द्वितीय पक्ष

क्रमशः 3 पर

IN

प्रत्येक

(6)

नोट - यह कि विनियम से उल्लिखित दोनों भूमि का सहमन मानायेन में  
रेखांकित किया गया है।

नोट-(1) अतः शासनादेश संवि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-  
2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प  
लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 6% एवं 7% की दर से  
ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP01282189208357N दिनांक  
06/08/2015 द्वारा रू० 15,87,600.00 एवं ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र  
संख्या IN-UP021230121605510 दिनांक 22/06/2016 द्वारा रू०  
6,31,100.00 के प्रमाण पत्र कुल रू० 22,18,700.00 पर विक्रय विलेख  
निष्पादित किया जा रहा है।

लिहाजा उपरोक्त ने साक्ष्य में इस विनियम विलेख पर दोनों  
पक्षकारों ने इस विलेख में प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित तिथि को हस्ताक्षरित  
किया है।

लखनऊ दिनांक  
साक्षीगण

*ML*

1.

पता

9/423 02 हंस  
अस (नगर)  
(N 02/2016/2017/2018/2019)

2.

पता

*ML*  
*ML*



*Shukumbhi*  
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष



हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Base Certificate No.  
Certificate No.  
Certificate Issued Date  
Account Reference  
Unique Doc. Reference  
Purchased by  
Description of Document  
Property Description  
Consideration Price (Rs.)  
First Party  
Second Party  
Stamp Duty Paid By  
Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UPD1282172700872N  
IN-UPD21225280161270  
22 Jun 2016 03:38 PM  
SHCIL (FI)/ upshcil01, LUCKNOW/ UP-LKN  
SUBIN: UPUPSHCIL01025333962061480  
UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
Article 31 Exchange of property.  
PLOT NO. 20 A/385, SECTOR-20, VRINDAVAN YOJNA-4,  
LUCKNOW.  
UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
PRADEEP KUMAR AND RAJIV KUMAR  
UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD LUCKNOW  
12,32,600  
(Twelve Lakh Thirty Two Thousand Six Hundred only)



Please write or type below this line



वृन्दावन योजना, लखनऊ

VO 0000759414

विनिमय विलेख

यह कि विनिमय विलेख आज दिनांक 20/06/2018 को प्रदीप कुमार व राजीव कुमार पुत्रगण स्वः श्री राजाराम विजयसिंग नुमाई चौराहा, हरदोई उ०प्र० जिन्हें एतदपश्चात् प्रथम पक्ष कहा गया है।

एव उत्तर प्रदेश अधिनियम एवं विधायक परिषद अधिनियम द्वारा आवास आर्यक सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय इन्दावन योजना अन्तर्गत लखनऊ जिले एतदपश्चात् प्रथम पक्ष कहा गया है जिन्हें एतदपश्चात् द्वितीय पक्ष कहा गया है कि उक्त विनिमय विलेख निम्न प्रकार है।

यह कि प्रथम पक्ष नऊनगाय भूमिधरी भूमि खसरा न० 1177 क्षेत्रफल 0.0630 हेक्टेयर, खसरा न० 1183 क्षेत्रफल 0.0250 हेक्टेयर, खसरा न० 1184 क्षेत्रफल 0.0660 हेक्टेयर, खसरा न० 1185 क्षेत्रफल 0.0440 हेक्टेयर, खसरा न० 1186 क्षेत्रफल 0.0790 हेक्टेयर, खसरा न० 1187 क्षेत्रफल 0.0890 हेक्टेयर, खसरा न० 1188 क्षेत्रफल 0.0620 हेक्टेयर, खसरा न० 1189 क्षेत्रफल 0.0440 हेक्टेयर, खसरा न० 1190 क्षेत्रफल 0.0690 हेक्टेयर, खसरा न० 1191 क्षेत्रफल 0.0820 हेक्टेयर, खसरा न० 1192 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर, खसरा न० 1158 क्षेत्रफल 0.1230 हेक्टेयर, खसरा न० 1159 क्षेत्रफल 0.0760 हेक्टेयर, खसरा न० 1178 क्षेत्रफल 0.0380 हेक्टेयर, खसरा न० 1179 क्षेत्रफल 0.0220 हेक्टेयर, खसरा न० 1180 क्षेत्रफल 0.0190 हेक्टेयर, खसरा न० 1181 क्षेत्रफल 0.0090 हेक्टेयर, खसरा न० 1182 क्षेत्रफल 0.0430 हेक्टेयर, खसरा न० 1186 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 1.058 हेक्टेयर स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम, शहर लखनऊ के भाग भूमि क्षेत्रफल 0.4522 हेक्टेयर "जिसे एतदपश्चात् अंश भूमिधरी भूमि" कहा गया है। प्रथम पक्ष स्वामी व अधिकारी है।


यह कि उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वामित्व एव अधिकार में मौजूद है जो हर प्रकार के विवादों, विक्रय, बंधक, दान आदि से बरी व पाक साफ है।

यह कि द्वितीय पक्ष वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20 के अन्तर्गत ग्राम कल्ली पश्चिम, जिला लखनऊ में भूमि अधिग्रहण करने के उपरान्त अधिग्रहीत भूमि पर विकसित प्लॉट कायम किये है उन्ही प्लॉटों में से प्लॉट सं० 20ए/385 क्षेत्रफल 2261 वर्गमीटर स्थित वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ द्वितीय पक्ष के समस्त अधिकार में मौजूद है।

यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को अपनी अपनी उपरोक्त सम्पत्तियों को विक्रय बंधक दान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथम पक्ष ने अपने उपरोक्त अंश भूमिधरी भूमि को द्वितीय पक्ष के उपरोक्त प्लॉट से विनिमय करने में सहमत है अतः उक्त विनिमय विलेख को परिणाम स्वरूप इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से हम उभय पक्ष निम्न शर्तों के पाबन्द होते हैं।

क्रमशः 2 पर

  
प्रथम पक्ष

दिनांक 20/06/2018  
एव आवास आर्यक  
इन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20, जिला लखनऊ



सम्पत्ति प्रथम पक्ष  
 9. यह कि द्वितीय पक्ष की सम्पत्ति अर्थात् प्लॉट संख्या 20ए/385 का  
 मूल्यांकन निम्न है -

- यह कि वृन्दाघन योजना -4 लखनऊ स्थित भूखण्ड सं 20ए/385 भूमि की कीमत रु 16,000/- रूपया प्रतिवर्गमीटर निर्धारित है परन्तु कानर पर स्थित होने के कारण निर्धारित मूल्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर अर्थात् 17,600/- रूपया प्रतिवर्गमीटर की दर से 2261 वर्गमीटर की मालियत रु 3,97,93,600/- रूपया होती है।
10. यह कि उपरोक्त विवरण अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पत्ति जो प्रथम पक्ष की सम्पत्ति की जा रही है पर अतिरिक्त 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड मूल्यांकन की दर सम्पत्ति की मालियत रु 4,45,68,832/- रूपया है।
11. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य विनिमय की गयी सम्पत्ति में से द्वितीय पक्ष के प्लॉट की मालियत अधिक है अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम की प्रथम अनुसूची 1-ठ के अनुच्छेद 31 के अनुसार अधिकतम मालियत 4,45,68,832/- रूपया पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से 31,19,900/- रूपया स्टाम्प की देयता होती है।
12. यह कि विनिमय विलेख में स्टाम्प पेपर सर्किल दर पर देय है अतः सर्किल दर 25000/- रूपया प्रतिवर्गमीटर निर्धारित है परन्तु कानर पर स्थित होने के कारण निर्धारित मूल्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर अर्थात् 27500/- रूपया प्रतिवर्गमीटर की दर से 2261 वर्गमीटर की मालियत रु 5,21,77,500/- आती है उक्त मालियत पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से 43,52,500/- रूपया स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
13. यह कि इस विनिमय पत्र की पाबन्दी उभय पक्ष व उभयपक्ष के उत्तराधिकारियों पर समान रूप से लागू रहेगी।
13. यह कि दोनों सम्पत्तियां सेगमेंट रोड पर स्थित नहीं है।

अनुसूची - 1  
 सम्पत्ति प्रथम पक्ष

सकमणीय भूमिदारी भूमि खसरा नं 1177 क्षेत्रफल 0.0820 हेक्टेयर खसरा नं 1182 क्षेत्रफल 0.0250 हेक्टेयर खसरा नं 1184 क्षेत्रफल 0.0660 हेक्टेयर, खसरा नं 1185 क्षेत्रफल 0.0440 हेक्टेयर, खसरा नं 1186 क्षेत्रफल 0.0790 हेक्टेयर, खसरा नं 1187 क्षेत्रफल 0.0890 हेक्टेयर, खसरा नं 1188 क्षेत्रफल 0.0620 हेक्टेयर, खसरा नं 1189 क्षेत्रफल 0.0440 हेक्टेयर, खसरा नं 1190 क्षेत्रफल 0.0690 हेक्टेयर, खसरा नं 1191 क्षेत्रफल 0.0820 हेक्टेयर, खसरा नं 1192 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर, खसरा नं 1158 क्षेत्रफल 0.1230 हेक्टेयर, खसरा नं 1159 क्षेत्रफल 0.0760 हेक्टेयर, खसरा नं 1178 क्षेत्रफल 0.0480 हेक्टेयर, खसरा नं 1179 क्षेत्रफल 0.0220 हेक्टेयर, खसरा नं 1180 क्षेत्रफल 0.0190 हेक्टेयर, खसरा नं 1181 क्षेत्रफल 0.0090 हेक्टेयर, खसरा नं 1182 क्षेत्रफल 0.0430 हेक्टेयर, खसरा नं 1186 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 1.058 हेक्टेयर स्थित ग्राम कल्ती पश्चिम, शहर लखनऊ के ग्राम भूमि क्षेत्रफल 0.4522 हेक्टेयर, जिसकी चौहद्दीयां निम्नवत है।

*Pran Rajin*  
 प्रथम पक्ष

क्रम सं. 4 पृ  
 द्वितीय पक्ष  
 प्रथम पक्ष  
 वृन्दाघन योजना, लखनऊ

